



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रक्षा मंत्रालय/MINISTRY OF DEFENCE

कार्यालय, प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियां)

OFFICE OF THE PRINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (FYS)

प्रशा- III/AN-III

10ए, एस के बोस रोड, कोलकाता - 700 001

10-A, S.K. BOSE ROAD, KOLKATA: 700001

E-mail ID: cda-cal@nic.in /aniii.dad@hub.nic.in

Phone No: (033) 2248-5077 to 5080 Extn-374

Website : www.pcafys.nic.in

FAX No. : (033) 2248-0991

भाग-II कार्यालय आदेश सं. Part-II O.O. No.	1507	दिनांक: Date:	29/10/2018
--	------	------------------	------------

विषय : एम.ए.सी.पी. योजना के तहत व.ले.प. (सीधी भर्ती लिपिक / लिपिक के रूप में नव नियुक्त अथवा अंतर्विभागीय स्थानांतरण बाला लिपिक) को तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करना ।

Subject : Grant of Third Financial Up gradation under MACP scheme to the Sr. Auditors (Recruited as direct Clerk or as fresh entrant or IDT as Clerk).

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं.35034/3/2008/स्था-(घ) दिनांक 19/05/2009 एवं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एफ सं. 35034/3/2015 -स्था(घ) दिनांक: 28/09/2016 के द्वारा केंद्रीय सरकारी असेन्य कर्मचारियों के लिए प्रारंभ की गई एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.) भारी वाहन निर्माणी, आवडी एतद्वारा लेखा कार्यालय, आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली में कार्यरत SMT. D.R. LALITHA, व.ले.प. / 8333897 को 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर या व.ले.प. के पद पर द्वितीय पदोन्नति से उसी ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत दिनांक: 08.09.2018 से संशोधन-पूर्व वेतन बैंड-2 में रु. 9300-34800 के वेतनमान में ग्रेड वेतन रु. 4600/- तथा 7th CPC वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल-7 पर तृतीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करते हैं ।

The Controller of Finance & Accounts (Fys), Avadi Group of Factories, Avadi, hereby approves the grant of third Financial Up gradation under MACP Scheme as introduced by Government of India vide DOPT's O. M. No. 35034/3/2008 - Estt.(D) dated 19/05/2009 and also as per the provision vide DOPT's O. M. No. 35034/3/2015- Estt.(D) dated: 28/09/2016, for Central Govt. Civilian Employees in respect of SMT. D.R. LALITHA, SA / 8333897 working in AO OF Trichy, w.e.f., 08.09.2018, in the (Pre-revised) 6th CPC scale of Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4600 in the Pay Band -2 , corresponding to the level-7 of revised Pay Matrix under 7th CPC. Individual(s) have/ has already either completed 30-years of regular service or completed 10 years in the same grade pay from the date of 2nd promotion.

एम.ए.सी.पी. के अधीन व्यक्तिगत आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड वेतन / वेतन मैट्रिक्स में संस्थापन केवल वित्तीय लाभ की स्वीकृति दी जाती है और जिसे संबंधित व्यक्ति की वास्तविक या कार्यात्मक पदोन्नति नहीं मानी जाएगी एवं इसका संबंधित व्यक्ति की वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा ।

The MACP Scheme contemplates merely placement on personal basis in the immediate higher grade pay/ Pay Matrix for grant of financial benefits only and shall not amount to actual or functional promotion of the concerned individual(s) and shall also have no relevance to individual's seniority position.

Contd.....P/2

एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन होने पर उनका वेतन निर्धारण व्यय विभाग के का.जा. सं. 1/1/2008-आई.सी दिनांक 13/09/08 एवं का.जा. सं 1-6/2016-IC (Pt.) दिनांक 29/09/16.के अनुसार एफ आर 22(1) (ए) (1) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा । इसलिए संबंधित व्यक्ति को यह सुझाव दिया जाता है कि यदि उनका वेतन निर्धारण का कोई विकल्प हो तो निर्धारित समय सीमा के अंदर इस कार्यालय के प्रशा-वेतन अनुभाग को भेज दें ।

On financial up gradation under MACP Scheme, individual's pay shall be fixed under the provision of FR 22(I) (a) (1) as per Deptt. Of Expenditures OM No. 1/1/2008(Pt.) dated 13/09/08 and OM No. 1-6/2016-IC (Pt.) dated 29/09/16. Individual(s) is/ are, therefore, advised to exercise option towards fixation of pay, if any and furnish the same to the AN Pay Section of this office within the specified period.

“ किसी भी त्रुटिपूर्ण वित्तीय उन्नयन की जानकारी बाद में मिलने पर वे वेतन एवं भत्ते की राशि का अंतर विभाग को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे/होंगी ।”

“In the event of any erroneous financial up gradation noticed at later stage, individual(s) would be liable to refund the differences of Pay and Allowances to the Department.”

उपर्युक्त आशय का वचनबंध उक्त व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसे प्राप्त कर अभिलेखित कर लिया गया है ।

An undertaking to this effect has been accepted by the individual(s) and the same has been obtained and recorded.

शुभंकर चटर्जी
(शुभंकर चटर्जी) / (Subhankar Chatterjee)

वरि: लेखा अधिकारी(प्रशा) /Sr. Accounts Officer (AN)

सं. 1071/प्रशा-III/एमएसीपी/ व.ले.प.- लिपिक./खंड X

दि:29/10/2018

No. 1071/AN: III/MACP/SA-CLK/ Vol. X

dated:29 /10/2018

प्रतिलिपि / Copy to :-

1. र.ले.म.नि.,उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-10 / The CGDA, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt-10.
2. प्र.र.ले.नि. (पेन्शन) इलाहाबाद / The PCDA(Pension), Allahabad.
3. र.ले.नि (निधि), मेरठ / The CDA(Fund) Meerut.
4. प्रशा अनुभाग- स्था4. गार्ड फाइल / Guard File
5. प्रशा अनुभाग- स्थापना / प्रशा वेतन/ प्रशा-वेतन का वेतन निर्धारण ग्रुप / WD Cell /गोपनीय रिपोर्ट / सेवा पुस्तिका /AN Section: Estt. AN:II/AN:Pay/Pay fixation group of AN-Pay / WD Cell/ CR/SB.
6. वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फै.), भारी वाहन निर्माणी, आवडी / The CFA (Fys), Avadi.
7. प्रभारी अधिकारी, लेखा कार्यालय आयुध निर्माणी, तिरुचिरापल्ली एवं संबंधित व्यक्ति के लिए प्रतिलिपि/
The Officer in Charge : AO OF TRICHY with a copy to the concerned individual.

शुभंकर चटर्जी
(शुभंकर चटर्जी) / (Subhankar Chatterjee)

वरि: लेखा अधिकारी(प्रशा) /Sr. Accounts Officer (AN)